तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
17/11/17	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी दौरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 10-1-18 को पेश हो
10-1-18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी दौरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 22-3-18 को पेश हो
28/04/18	हैतलपाली पेशी देने पर पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी दौरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 28/05/18 को पेश हो
07/08/18	हैतलपाली पेशी देने पर पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी दौरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 04/10/18 को पेश हो
04/10/18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी दौरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 27/12/18 को पेश हो
27/12/18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी दौरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 29/3/19 को पेश हो
29/03/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी दौरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 18/07/19 को पेश हो
18/07/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी दौरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 7/10/19 को पेश हो

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
17/10/19 पत्रावली ... अधिकारी ... आईन्दा पत्रावली ... दिनांक 13/11/19 को पेश हो।	
13/11/19 पत्रावली पेशी में ली गयी। उभय पक्ष बहस सुनी गयी। निर्णय हेतु पत्रावली 25.11.19 को पेश हो।	
25/11/19 पत्रावली निर्णय हेतु पेशी में ली गयी। उभय पक्ष की बहस के तथ्यों पर गौर किया गया। वादीगण भवानी सिंह वगैरह जाति राजपूत को अंकित रहा कि ग्राम बावड़ी के ख.नं. 1100/9 1101/1 'ड़ाई, 183 कुल 1.34 है. भूमि पर प्रतिवादीगण छड़ाराम वगैरह जाति बलाई की खातेदारी भूमि पर Adverse Possession के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे। वादीगण ने अपने समर्थन में खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 से 12 पेश कर अपने समर्थन में settlement से पूर्व से कब्जा काश्त बाबत बयानात पेश किये गये। प्रतिवादी सं. 7 भूमिधारी जरिये तहसीलदार खण्डेला द्वारा जवाब पेश कर आग्रह किया कि स्वर्ण जाति के व्यक्तियों का अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की खातेदारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा काश्त का हवाला देकर वाद वादीगण खारिज करने का आग्रह किया गया। उभय पक्षों के तर्कों पर गौर किया गया। वादीगण भवानी सिंह वगैरह की जाति राजपूत है, जो सामान्य श्रेणी में आती है जो अप्रार्थीगण छड़ाराम वगैरह अनुसूचित जाति से हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अनुसूचित जाति की भूमि पर महज कब्जा काश्त के आधार पर सामान्य जाति के व्यक्ति को खातेदारी दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः वाद वादीगण पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। तहसीलदार खण्डेला को आदेशित किया जाता है कि वो 183(B) RTA के तहत वाद दर्ज कर नियमानुसार बेदखली कार्यवाही अमल में लावे। निर्णय आज दि. 25.11.19 को खुले न्याया. में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) (रणजीत सिंह) 25.11.19	